



प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज


पत्रांक : पी0आर0एस0यू0 / राग्व0 / अनु0 / 667 / 2022

दिनांक : 29/08/2022

कार्यालय-ज्ञाप


विश्वविद्यालय द्वारा कतिपय महाविद्यालयों को शैक्षिक सत्र 2021-2022 में उनके यहां संचालित पाठ्यक्रमों में महाविद्यालय के अनुरोध पर परिनियमावली के सुसंगत व्यवस्था के अन्तर्गत अतिरिक्त सेक्शन संचालित किये जाने की अनुमति कतिपय शर्तों के आधार पर प्रदान की गयी थी, परन्तु संज्ञान में आया है कि कुछ महाविद्यालयों द्वारा उल्लिखित शर्तों तथा अतिरिक्त सेक्शन हेतु शिक्षकों का अनुमोदन नहीं कराया गया है तथा बिना शिक्षकों के अतिरिक्त सेक्शन आरम्भ किया गया है, यह अत्यंत ही खेद जनक एवं विधि विरुद्ध है।

अतएव उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित महाविद्यालय जिन्होंने अतिरिक्त सेक्शन संचालन की अनुमति प्रदान कर ली है वे सत्र 2022-2023 की कक्षाएँ जो 1 सितम्बर, 2022 से प्रारम्भ हो रही हैं, से पूर्व शिक्षक अनुमोदन अनिवार्य रूप से करा ले, अन्यथा की स्थिति में अतिरिक्त सेक्शन चालू किये जाने की अनुमति वापस ले ली जायेगी, छात्रों के परीक्षा कराने का उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।


(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सहायक कुलसचिव।
2. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
3. प्रभारी एजेन्सी को सम्बन्धित महाविद्यालय की लॉगिन पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. सम्बद्धता विभाग।


कुलसचिव